

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था-4/ब/पदो./स्टेनो./2008/965

भोपाल, दिनांक 09.07.08

// आदेश //


मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग (अमहाविद्यालयीन) तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 1973 तथा म.प्र. शासन, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) भोपाल के परिपत्र क्रमांक 62/102/1/वे.आ.प्र./88 दिनांक 15 मार्च 1988 के प्रावधानों के प्रकाश में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.04.08 की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित शीघ्रलेखकों को निज सहायक के पद पर वेतनमान 5500-9000 में पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में अंकित कार्यालय / संस्था में पदांकित किया जाता है। इस पदस्थापना के फलस्वरूप उनका वर्तमान पद अब निज सहायक वेतनमान 5500-9000 में उन्नत किया जाता है:-

स. क्र.	कर्मचारी का नाम	जाति	पदांकित कार्यालय/संस्था
1.	2	3	4
1.	श्रीमती किरण पंथी, कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर	अनुसूचित जाति	कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर
2.	श्रीमती सीमा एंथोनी, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर	अनुसूचित जनजाति	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर
3.	श्री मंगलप्रसाद हल्वा, कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, जबलपुर	अनुसूचित जनजाति	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी
4.	कु.ममता पांचाल, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी देवास	सामान्य	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी देवास
5.	श्री मनोज कुमार धुर्वे, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल	अनुसूचित जनजाति	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण नियमों / आदेशों का पूर्णतः पालन किया गया है।

पदोन्नत कर्मचारियों को पदांकित कार्यालय / संस्था में दिनांक 25.07.08 तक उपस्थित होना अनिवार्य है।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित


(डॉ. अबध किशोर मिश्रा)

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
3. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर
4. संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग सागर/उज्जैन / जबलपुर /रीवा
6. जिला शिक्षा अधिकारी, सागर/ सिवनी/ देवास/ शहडोल /जबलपुर
7. जिला कोषालय अधिकारी, सागर/ सिवनी/ देवास/ शहडोल/जबलपुर
8. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त/ संचालक, लोक शिक्षण
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर भेजकर लेख है कि पदोन्नति हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 25.07.08 के पूर्व आवश्यक रूप से पदांकित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें । निर्धारित तिथि पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।


संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश